

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मई 2022 — वैशाख 28, शक 1944

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-34/2021/32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 के उप-नियम 53 (ड) में, शब्द तथा चिन्ह “किन्तु जिसका विस्तार भू-खण्ड के विहित न्यूनतम उपातीय खुले स्थान पर नहीं होगा;” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह “भू-खण्ड सीमा से 6 मीटर की दूरी तक पोडियम स्वीकार्य होगा;” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 मई 2022

क्रमांक एफ 7-34/2021/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-05-2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 9th May 2022

## NOTIFICATION

No. F 7-34/2021/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam., 1984, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (53-e) of rule 2, for the words and punctuations "but, shall not extend to the prescribed minimum marginal open spaces of the plot;", the words, figure and punctuation "Podium may be allowed at a distance of 6 metre from the plot boundary;" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
C. TIRKEY, Deputy Secretary.